

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

बी० ए० संख्या-46/2020

परमेश्वर गंझू उर्फ परवीन जी उर्फ परमेश्वर गंझू याचिकाकर्ता
बनाम्

झारखण्ड राज्य विपक्षी पक्ष

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगन मुखोपाध्याय

याचिकाकर्ता के लिए: श्री जितेंद्र एस० सिंह, अधिवक्ता।

विपक्षी पक्ष के लिए : श्री रजनीश वर्धन, ए०पी०पी०।

4/24.01.2020 पक्षों को सुना।

याचिकाकर्ता चंदवा थाना काण्ड संख्या 87 वर्ष 2019 के संबंध में एक आरोपी है।

आरोप लगाया गया है कि सूचक के मुंशी और गार्ड ने कार्यस्थल पर गड़बड़ी पैदा की और यह आरोप लगाया गया कि 02.07.2019 को, चार अज्ञात बदमाशों ने पोकेलिन मशीन और एक ट्रैक्टर पर आग लगा दी थी। ऐसा प्रतीत होता है कि महादेव गंझू (मुंशी) और अनिल उरांव (गार्ड) ने कबूल किया और याचिकाकर्ता को फंसाया गया। याचिकाकर्ता 28.08.2019 से हिरासत में है।

उपरोक्त के संदर्भ में, उपरोक्त याचिकाकर्ता को 10,000/- (दस हजार रुपये) के बंधपत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर, विद्वान ए०सी०जे०एम०,

लातेहार की संतुष्टि पर चंदवा थाना काण्ड संख्या 87 वर्ष 2019 में जमानत पर छोड़ने का निर्देश दिया जाता है।

(रोंगन मुखोपाध्याय, न्याया0)